لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ
تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى
ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦
وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ
فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي
بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ
ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧ حَٰفِظُواْ
عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ
خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا
عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ
مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ
غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ
فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٤٠
وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٤١ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢٤٢

Theme	
Commandments relating to dowry in the case of a divorce. Commandment for guarding the Salah (Prayers). Executing a "Last Will and Testament" is	तलाक़ की सूरत में महर से मुतअल्लिक़ अहकाम। नमाज़ों की हिफ़ाज़त करने का हुक्म। वसीयत करना वाजिब क़रार दिया गया है।

made obligatory.	
Tarjumani	
There is no blame on you, if you divorce women before the marriage is consummated or the dowry is settled. Pay them something any-how, the rich man according to his means and the poor according to his, a reasonable amount in all fairness. This is an obligation on the righteous people. And if you divorce them before the marriage is consummated but after the fixation of a dowry, give them half of their dowry unless the woman wants to waive it or the man, in whose hand is the marriage tie, agrees to forego (and pay the dowry in full). To forego and give full dowry is closer to piety. Do not forget to show kindness to each other. Surely, Allah observes your actions. Guard your Salahs (obligatory prayers) especially the middle Salah and stand up with true devotion to Allah. If you are in danger, pray on foot or while riding,	तुमपर कुछ गुनाह नहीं, अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो, कब्ल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या महर मुक़र्रर हो	इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ देना ज़रूर चाहिए	खुशहाल आदमी अपनी मकदिरत के मुताबिक़ और ग़रीब अपनी मकदिरत के मुताबिक़ मारुफ़ तरीक़े से दे	यह हक़ है नेक आदमियों पर	और अगर तूने हाथ लगाने से पहले तलाक़ दी हो, लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो, तो इस सूरत में निफ्स महार देना होगा	यह और बात है कि औरत नर्मी बरते (और महर न ले) या वह मर्द, जिसके इखतियार में अक्दे-निकाह है, नर्मी से काम ले (और पूरा महर दे दे), और तुम (यानी मर्द) नर्मीसे काम लो, तो यह तकवा से ज्यादा मुनासिबत रखता है	आपस के मामलात में फैयाजी को न भूलो	तुम्हारे आमाल को अल्लाह देख रहा है अपनी नमाज़ों की निगहदाश्त रखो, खुसूसन ऐसी नमाज़ की जो महासिने-सलात कि जामेअ हो	अल्लाह के आगे इया तरह खड़े हो, जैसे फरमाँबरदार गुलाम खड़े होते हैं

and when you are safe, remember Allah in the manner that He has taught you which you did not know before. Those of you who die and leave widows, should bequeath for them a year's maintenance without causing them to leave their homes; but if they leave the residence on their own, there is no blame on you for what they chose for themselves in a fair way. Allah is Mighty, Wise. Reasonable provisions must also be made for divorced women. That is an obligation upon those who fear Allah. That's how Allah makes His Revelations clear to you so that you may understand.	| बदअमनी की हालत हो, तो खाह पैदल हो, खाह सवार, जिस तरह मुमकिन हो, नमाज़ पढों | और जब अम्न मुयस्सर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो, जो उसने तुम्हें सिखा दिया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ़ थे | तुममें से जो लोग वफ़ात पाएँ और पीछे बीवियाँ छोड़ रहे हों, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक़ में यह वसीयत कर जाएँ कि एक साल तक उनको नान व नफ्फा दिया जाए और वे घर से न निकाली जाएँ | फिर अगर वे ख़ुद निकल जाएँ, तो अपनी जात के मामले में मारुफ़ तरीक़े से वे जो कुछ भी करें, उसकी कोई जिम्मेदारी तुमपर नहीं है | अल्लाह सब पर ग़ालिब इकतिदार रखनेवाला और हकीम व दाना है | इसी तरह जिन औरतों को तलाक़ दी गई हो, उन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ न कुछ देकर रुखसत किया जाए | यह हक़ है मुत्तकी लोगों पर | इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ़-साफ़ बताता है | उम्मीद है कि तुम समझ-बुझकर काम करोगे |

Tafsir